न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 171 / 2019
निर्णय दिनांकः– 11.01.2021

उनवान

रज्जाक तेली पुत्र सिकन्दर खां जाति मुसलमान तेली निवासी मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोंक –प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री बेणी प्रसाद मीना वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 355 ख0न0 86 रकबा 3.02,ख0न0 87 रकबा 2.91 ,ख0न0 95 रकबा 0.72 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.65 है0 वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का नाम रज्जाक तेली पुत्र सिकन्दर खां है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड,फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से अब्दुल रजाक पुत्र सिकन्दर खां अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम रज्जाक तेली पुत्र सिकन्दर खां है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रज्जाक तेली पुत्र सिकन्दर खां के स्थान पर सहवन से अब्दुलरजाक पुत्र सिकन्दर खां दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 355 ख0न0 86 रकबा 3.02,ख0न0 87 रकबा 2.91 ,ख0न0 95 रकबा 0.72 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.65 है0 वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम अब्दुलरजाक पुत्र सिकन्दर खां के स्थान पर रज्जाक तेली पुत्र सिकन्दर खां अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम सोप के खाता सं0 355 में प्रार्थी का नाम अब्दुलरजाक पुत्र सिकन्दर खां जाति तेली दर्ज है। उपरोक्त नाम जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 519 दिनांक 10.09.1998 से दर्ज हुआ है। जिसमें भी प्रार्थी का नाम अब्दुलरजाक दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रज्जाक दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जॉच के अब्दुलरजाक पुत्र सिकन्दर खां व रज्जाक तेली पुत्र सिकन्दर खां एक ही व्यक्ति है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 खाता संख्या 355 ख0न0 86 रकबा 3.02,ख0न0 87 रकबा 2.91 ,ख0न0 95 रकबा 0.72 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.65 है0 वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में प्रार्थी अब्दुलरजाक पुत्र सिकन्दर खां हिस्सा 1/10 जाति तेली साकिन मण्डावरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम रज्जाक तेली व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रज्जाक दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम सोप के खाता सं0 355 में अब्दुलरजाक पुत्र सिकन्दर खां के स्थान पर रज्जाक पुत्र सिकन्दर खां किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 355 वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज अब्दुलरजाक के स्थान पर अब्दुलरजाक उर्फ रज्जाक दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा